

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार , आर.ए.एस

दिनांक राजस्व वाद 36/2018

वादी

श्री जगन्नाथ पुत्र श्री जगन्नाथ जाति कलबी निवासी असाडा तह0 पंचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सोनाराम पुत्र जगन्नाथराम जाति कलबी
2. मोडाराम पुत्र भलाराम जाति कलबी
3. गोकुलराम पुत्र भलाराम जाति कलबी
4. रवाराण पुत्र जोधाराम जाति कलबी
5. बजाराम पुत्र हीराराम जाति कलबी
6. भागाराम पुत्र रुग्नाथराम जाति कलबी
7. लाराराम पुत्र रुग्नाथराम जाति कलबी
8. लीवाराम पुत्र रुग्नाथराम जाति कलबी
9. हाथीराम पुत्र भागाराम जाति कलबी सभी निवासीयान गांव असाडा तहसील पंचपदरा जिला बाडमेर ।
10. सरपंच ग्राम पंचायत असाडा ।
11. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमि धारक तहसीलदार पंचपदरा जिला बाडमेर ।



वाद हेतु बंटवाडा (तकासमा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तर्गत धारा 53 (कृषि क्षेत्र का विभाजन) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री प्रियतम आजाद वादी वकील
श्री खुशाहलाराम पटेल प्रतिवादी सं. 1 वकील
श्री मोहम्मद सिकन्दर प्रतिवादी सं. 3 वकील
निर्णय

दिनांक :- 22.10.2020

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बाडमेर

वादी ने यह वाद मुख्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी ने वाद में व्यक्त किया है कि मौजा असाडा में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 के निम्नानुसार वर्णित सह-शामलगी अविभाजित खसरान् की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां राजस्व अभिलेख अनुसार अवस्थित हैं जिसका विवरण वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्सानुसार निम्न मुजब है :-

लगातार

(अ) खाता संख्या नया - 968

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
1116	00.07 बीघा	गै.मु.वैरा	(01 विस्वा 03 विस्वान्सी)
1117	02.07 बीघा	गै.मु.ओड	(08 विस्वा)
1118	27.03 बीघा	चा. सोयम	(04 बीघा 05 विस्वा 10विस्वान्सी)

कुल रकबा - 29.17 बीघा 1/6 हिस्सा

उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 ता 3 का संयुक्त 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/6 हिस्सा, शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 का है व राजस्व रेकॉर्ड में इसी प्रकार सह-खातेदारान है।

(ब) खाता संख्या नया - 980

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
1115	31.00 बीघा	चा. सोयम	103.33/620हि.

उपरोक्त खसरा की भूमि में वादी का 103.33/620 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 103.34/620 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 115.25/620 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 38.75/620 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 103.33/620 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 154/620 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 का 02/620 हिस्सा है व राजस्व रेकॉर्ड में इसी प्रकार सह-खातेदारान है।

(स) खाता संख्या नया - 213 (ग्राम पोशाल नगर,असाडा)

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
761	34.03 बीघा	वा. दौयम	1/2 हिस्सा (17बीघा 01 विस्वा 10विस्वान्सी)

उपरोक्त खसरा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है व राजस्व रेकॉर्ड में इसी प्रकार सह-खातेदारान है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो सगे भाई हैं।

(द) खाता संख्या नया - 972

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
1197	28.01 बीघा	वा. दौयम	1/2 हिस्सा (14बीघा10विस्वान्सी)

उपरोक्त खसरा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है व राजस्व रेकॉर्ड में इसी प्रकार सह-खातेदारान है।

(य) खाता संख्या नया - 595

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
2681/273	34.02 बीघा	वा. सोयम	(05बीघा 13 विस्वा 13विस्वान्सी)
449	17.18 बीघा	वा. अच्चल	(02बीघा 19 विस्वा 13विस्वान्सी)

कुल रकबा - 52.00 बीघा 1/6 हिस्सा

उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 ता 8 की माता टीपू बेवा रूगनाथजी का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु उनका वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज अंकित है, जबकि उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 6 ता 8 ही हैं इसलिये प्रतिवादी सं. 6 ता 8 का अभी संयुक्त 1/6 हिस्सा है।

(6) खाता संख्या नया - 502

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
1119	12.05 बीघा	वा. दौयम	1/2 हिस्सा (06बीघा 02 विस्वा 10विस्वान्सी)

उपरोक्त खसरा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 1/3 हिस्सा है व राजस्व रेकॉर्ड में इसी प्रकार सह-खातेदारान है।

डा. ए. ए. ए.
(S.D.O.) बल्लभ



लगातार

उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके पर किसी प्रकार कोई बंटवाडा नहीं हुआ है तथा मौके पर सभी काश्तकार शामिलता में काश्त करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमियां के सह-संयुक्त खातेदार टिनेन्ट हैं। वाद के पद सं 1 में वर्णित खसरा न की भूमि में उसके विधिक हक हिस्सा माफिक बाई मिट्स एण्ड बान्ण्ड्स बंटवाडा करवाने का विधिक हकदार हैं।

सहृद मौजा असाडा पटवार क्षेत्र असाडा तहसील पंचपदरा के खसरा संख्या 1116 रकबा 0.07 बीघा में वादी का 1/6 हिस्सा अर्थात् रकबा 1 बिस्वा 03 बिस्वांसी, खसरा संख्या 1117 रकबा 02.07 बीघा में वादी का 1/6 हिस्सा अर्थात् रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1118 रकबा 27.03 बीघा में वादी का 1/6 हिस्सा अर्थात् 04 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 1115 रकबा 31 बीघा में वादी का 103.33/620 हिस्सा अर्थात् रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा 07 बिस्वांसी, खसरा संख्या 761 रकबा 34.03 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात् रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 1197 रकबा 28.01 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात् रकबा 14 बीघा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 2681/273 रकबा 34.02 बीघा में वादी का 1/6 हिस्सा अर्थात् रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा 13 बिस्वांसी, खसरा संख्या 449 रकबा 17.18 बीघा में वादी का 1/6 हिस्सा अर्थात् रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा 13 बिस्वांसी, खसरा संख्या 1119 रकबा 12.05 बीघा में से वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात् रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी के By metes and bounds के आधार पर बंटवाडा कर वादी का उपरोक्त हक हिस्सा जुदा किया जाकर, उसके जुदा जुदा बट्टा नंबर राजस्व अभिलेख खतौनी एवं नक्शा किरतवार में दर्ज अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक अमल दरामद किया जावे।

बाद बंटवाडा (तकासमा) प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित एवं निवारित किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त खातेदारी की बंटवाडा व तरमीम सुदा कृषि भूमि में स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई दखल/हस्तक्षेप/बाधा/ अवरोध कारित नहीं करे और कभी भी प्रवेश करने की चेष्टा न तो स्वयं करे, और न ही अपने सहयोगियों से ही ऐसा करावे।

प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 ने अपने जवाब प्रस्तुत किये एवं प्रतिवादीगण सं. 2,4 से 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध दिनांक 08.11.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 ने दिनांक 21.06.2018 को केम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मेवानगर में स्वयं मय अधिवक्तागण के उपस्थित होकर उक्त प्रकरण की पत्रावली पेश कराकर राजस्व लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर वाद पत्र के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी के विभाजन पर सहमति जाहिर की गई। तहसीलदार पंचपदरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तहसीलदार पंचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि ग्राम असाडा के खसरा नं० 1116,1117,1118,1115,1197,2681/273,449,1119 व पोशालनगर के खसरा नं० 761 के विभाजन प्रस्ताव में खातेदार के नाम निम्नानुसार है



लगातार

नाम खातेदार	खण्ड	शक	किरा	रक
सोनाराम चावूलाल पि. जगमाल 1/3	1116	0.07	मे.पू.वेस	
मोडाराम गोकाराम पि. भलाराम 1/8	1117	2.07	मे.पू.वेस	
सवारास पुत्र जोधाराम 1/8 मोडाराम	1115	0.13	सा.शो.म	0.61
मोकलाराम पि. भलाराम 1/8 वजाराम	3	3.07		0.61
वल्द हीराराम 1/4 कौम कलबी सा.देह खातेदार				
चावूलाल चावूलाराम पि. जगमालराम	1115	5.01.07	चा.शो.	4.76
कौम कलबी चौधरी सा.देह खातेदार	1118	4.10.10	चा.शो.	4.25
	761	17.01.10	बा.दो.	2.56
	1197	14.00.10	बा.दो.	2.10
	2681/273	5.13.13	चा.शो.	0.46
	449	2.19.13	बा.अ.	0.62
	1119	6.02.10	बा.दो.	0.92
	7	55.09.13		15.67
3 सोनाराम पुत्र जगमालराम कौम चौधरी सा.देह खातेदार	761	17.01.10	बा.दो.	2.56
	1197	14.00.10	बा.दो.	2.11
	2	31.02.00	बा.दो.	4.67
4 सोनाराम पुत्र जगमालराम 1/3 वजाराम पुत्र हीराराम 2/3 कौम कलबी चौधरी सा.देह खातेदार	1119	2.00.00	बा.दो.	
	1119	4.02.10	बा.दो.	0.92
	2	6.02.10	बा.दो.	0.92
5 मोगाराम ताराराम जीवाराम पि. रूमनाथराम टीपू बेना रूमनाथराम हाथोराम वल्द मानाराम हि.2/5 सोनाराम पुत्र जगमालराम हि.1/5 सवारास पुत्र जोधाराम हि.2/5 कौम कलबी सा.देह खातेदार	2680/273	0.06	मे.पू.वेस	
	2681/273	23.03.07	चा.शो.	2.29
	449	14.13.07	बा.अ.	3.14
	3	43.12.14		5.43
6 सोनाराम पुत्र जगमालराम 1/5 मोडाराम गोकाराम पि. भलाराम 3/10 सवारास पुत्र जोधाराम 1/5 वजाराम वल्द हीराराम 3/10 कौम कलबी सा.देह खातेदार	1118	22.12.10	चा.शो.	21.27
	1	22.12.10	चा.शो.	21.27
7 सोनाराम पुत्र जगमालराम हि. 2086/10373 मोडाराम गोकाराम पि. भलाराम 1550/10373 सवारास पुत्र जोधाराम 2087/10373 मोकलाराम पि. भलाराम 775/10373 मोडाराम पुत्र भलाराम 775/10373 वजाराम वल्द हीराराम 3080/10373 कौम कलबी सा.देह सरपंच ग्राम पंचायत असाळा हि. 40/10373 खातेदार	1115	11.00	चा.शो.	10.34
	1115	14.05.13		13.43
	2	25.05.13	चा.शो.	23.77

सहायक इन्स्पेक्टर
(S.D.O.) कोल्हापूर



समाप्त

तहसीलदार पंचपदरा द्वारा मौका रिपोर्ट व परिशिष्ट नक्शे में विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तावित किया गया है, कि खसरा संख्या 1116 रकबा 0.07 बीघा किस्म गै.मु.वेरा, खसरा संख्या 1117 रकबा 02.07 बीघा किस्म गै.मु.ओड व खसरा संख्या 1115 रकबा 13 विस्वान्सी किस्म चा.सो. लगान 0.61 में सोनाराम बाबुलाल पि. जगमाल 1/3 मोडाराम गोकाराम पि. भलाराम 1/8 सवाराम पुत्र जोधाराम 1/6 मोडाराम गोकलाराम पि. भलाराम 1/8 वजाराम वल्द हीराराम 1/4 कौम कलवी खातेदारान का संयुक्त रूप से बरंग केसरिया दर्शाया गया है। वादी बाबुलाल उर्फ बाबूराम पुत्र जगमालराम कौम कलवी सा. देह खातेदार के खसरा संख्या 1115 रकबा 5 बीघा 01 विस्वा 07 विस्वान्सी किस्म चा.सो. लगान 4.76 बरंग नीला, खसरा संख्या 1118 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा 10 विस्वान्सी किस्म चा.सो. लगान 4.25 बरंग नीला, खसरा संख्या 761 रकबा 17 बीघा 01 विस्वा 10 विस्वान्सी किस्म वा.दो. लगान 2.56 बरंग नीला, खसरा संख्या 1197 रकबा 14 बीघा 10 विस्वान्सी किस्म वा.दो. लगान 2.10 बरंग नीला, खसरा संख्या 2681/273 रकबा 05 बीघा 13 विस्वा 13 विस्वान्सी किस्म चा.सो. लगान 0.46 बरंग नीला, खसरा संख्या 449 रकबा 02 बीघा 19 विस्वा 13 विस्वान्सी किस्म वा.अ. लगान 0.62 बरंग नीला, खसरा संख्या 1119 रकबा 06 बीघा 02 विस्वा 10 विस्वान्सी किस्म वा.दो. लगान 0.92 बरंग नीला दर्शाया गया है।

हमने वादी व प्रतिवादीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया व ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वादपत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां व तहसीलदार पंचपदरा के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी का वाद न्यायसंगत होने से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद माफिक अनुतोष व विभाजन प्रस्ताव के पूर्ण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पंचपदरा को आदेशित किया जाता है कि माफिक डिक्री अनुसार मौजा ग्राम असाड़ा तहसील पंचपदरा के खसरा नं० 1116 रकबा 0.07 बीघा किस्म गै.मु.वेरा, खसरा संख्या 1117 रकबा 02.07 बीघा किस्म गै.मु.ओड व खसरा संख्या 1115 रकबा 13 विस्वान्सी किस्म चा.सो. रास्ते के प्रयोजनार्थ लगान 0.61 में सोनाराम बाबुलाल पि. जगमाल 1/3 मोडाराम गोकाराम पि. भलाराम 1/8 सवाराम पुत्र जोधाराम 1/6 मोडाराम गोकलाराम पि. भलाराम 1/8 वजाराम वल्द हीराराम 1/4 कौम कलवी खातेदारान का संयुक्त रूप से बरंग केसरिया, वादी बाबुलाल उर्फ बाबूराम पुत्र जगमालराम कौम कलवी सा. देह खातेदार के खसरा संख्या 1115 रकबा 5 बीघा 01 विस्वा 07 विस्वान्सी किस्म चा.सो. लगान 4.76 बरंग नीला, खसरा संख्या 1118 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा 10 विस्वान्सी किस्म चा.सो. लगान 4.25 बरंग नीला, पोशालनगर के खसरा संख्या 761 रकबा 17 बीघा 01 विस्वा 10 विस्वान्सी किस्म वा.दो. लगान 2.56 बरंग नीला, खसरा संख्या 1197 रकबा 14 बीघा 10 विस्वान्सी किस्म वा.दो. लगान 2.10 बरंग नीला, खसरा संख्या 2681/273 रकबा 05 बीघा 13 विस्वा 13 विस्वान्सी किस्म चा.सो. लगान 0.46 बरंग नीला, खसरा संख्या 449 रकबा 02 बीघा 19 विस्वा 13 विस्वान्सी किस्म वा.अ. लगान 0.62 बरंग नीला, खसरा संख्या 1119 रकबा 06 बीघा 02 विस्वा 10 विस्वान्सी किस्म वा.दो. लगान 0.92 बरंग नीला के अनुसार उक्त खसरा की भूमि के माफिक निर्णय डिक्री अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दर्ज अंकित करें एवं राजस्व रिकॉर्ड में माफिक हिस्से अनुसार तरमीम कर खाते पृथक पृथक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं एवं उपरोक्त खसरा संख्या 1115 रकबा 13 विस्वान्सी किस्म चा.सो.

लगातार




(6)

वरग केसरिया संयुक्त हिस्से की रास्ते की भूमि प्रायोजित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से के उपरोक्त कब्जा कारत क खातदारी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई दखल/हस्तक्षेप कारित नही करे । तहसीलदार पंचपदरा के द्वारा प्रस्तुत मौका विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा परिशिष्ट निर्णय का हिस्सा होगा।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को सुनाया गया।

पत्रावली फंसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।




(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बलौघ